पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2511
दिनांक -15/10/2025

जोन- दक्षिणी /थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन करने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को वादी प्रेमचंद शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा सहायक प्रबंधक, ट्रू-बडी कसलंटिग प्रा0 लि0 ए-22 सेक्टर-03, नोएडा की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह निवासी 587 ए/29, गांधी नगर रायबरेली रोड तेलीबाग लखनऊ द्वारा वादी मुकदमा की कम्पनियो के उत्पादों रेपर्स, लेबल, ट्रेडमार्क आदि चिपका कर अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन कर विक्रय करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-90/25 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर बनाम राहुल सिंह उपरोक्त पंजीकृत हुआ था।

अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त राहुल सिहं उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे कि आज दिनांक 15.10.2025 को अभियुक्त राहुल सिंह उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर पराग रोड कृष्णानगर के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य अग्रिम कार्यवाह प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल सिंह पुत्र स्व रामनाथ सिंह नि0 मकान न0-4/123 सेक्टर 5E वृन्दावन योजना तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

03-राहुल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0-105/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम 63/65 कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 थाना मोहनलालगंज लखनऊ

02-मु0अ0सं0-90/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर लखनऊ

04-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

अभियुक्त द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से कापीराईट का उल्लंघन करते हुए भंडारण करना व उत्पादन करना।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवशंकर महादेवन थाना बिजनौर लखनऊ

02- उ0नि0 श्री नागेन्द्र भदौरिया थाना बिजनौर लखनऊ

03- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सोनकर थाना बिजनौर लखनऊ

04- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

04- आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

05- आरक्षी मनीष कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

06- आरक्षी रविन्द्र कुमार सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2511
दिनांक -15/10/2025

जोन- दक्षिणी /थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन करने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को वादी प्रेमचंद शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा सहायक प्रबंधक, टू-बडी कसलंटिग प्रा0 लि0 ए-22 सेक्टर-03, नोएडा की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह निवासी 587 ए/29, गांधी नगर रायबरेली रोड तेलीबाग लखनऊ द्वारा वादी मुकदमा की कम्पनियो के उत्पादों रेपर्स, लेबल, ट्रेडमार्क आदि चिपका कर अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन कर विक्रय करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-90/25 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर बनाम राहुल सिंह उपरोक्त पंजीकृत हुआ था।

अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त राहुल सिहं उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे कि आज दिनांक 15.10.2025 को अभियुक्त राहुल सिंह उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर पराग रोड कृष्णानगर के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य अग्रिम कार्यवाह प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल सिंह पुत्र स्व रामनाथ सिंह नि0 मकान न0-4/123 सेक्टर 5E वृन्दावन योजना तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

03-राहुल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0-105/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम 63/65 कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 थाना मोहनलालगंज लखनऊ

02-मु0अ0सं0-90/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर लखनऊ

04-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

अभियुक्त द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से कापीराईट का उल्लंघन करते हुए भंडारण करना व उत्पादन करना।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवशंकर महादेवन थाना बिजनौर लखनऊ

02- उ0नि0 श्री नागेन्द्र भदौरिया थाना बिजनौर लखनऊ

03- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सोनकर थाना बिजनौर लखनऊ

04- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

04- आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

05- आरक्षी मनीष कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

06- आरक्षी रविन्द्र कुमार सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2512
दिनांक-15.10.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **मिशन शक्ति 5.0 के तहत: वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.09.2025 को वादिनी मुकदमा के प्रा0 पत्र बावत प्रतिवादी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना, प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की माँ के साथ गाली-गलौज करने व परिवार को जान से मारने की धमकी देने विषयक के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 414/2025 धारा 69/352/351(3)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ बनाम 01. अभिजीत तिवारी निवासी बलिया पंजीकृत होकर विववेचना म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 14.10.2025 को म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर मय पुलिस बल के पंजीकृत अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त को श्रीमान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अपराध एव मुख्यालय लखनऊ महोदय के आदेश के अनुपालन मे मोबाईल नम्बर की लोकेशन के आधार पर अभियुक्त अभिजीत तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम हल्दी थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 32 वर्ष को किराये के मकान नं0 326 मागंज वार्ड 05 रेलवे इन्सिट्यूट के पीछे थाना कोतवाली दमोह जनपद दमोह राज्य मध्य प्रदेश सें दिनांक 14.10.2025 को समय 15.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभिजीत तिवारी उपरोक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 69/352/351(3) बीएनएस में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिजीत तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम हल्दी थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 32 वर्ष को किराये के मकान नं0 326 मागंज वार्ड 05 रेलवे इन्सिट्यूट के पीछे थाना कोतवाली दमोह जिला दमोह राज्य मध्य प्रदेश

नोट- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

04-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 414/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक कुमार यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. का0 सूर्य प्रताप सिंह थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

"मिशन शक्ति 5.0-शक्ति से नारी, नारी से देश, यही है सशक्त भारत का संदेश"।

दिनांक- 15.10.2025

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन एवं **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ** के मार्गदर्शन में *महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण* के उद्देश्य से "**मिशन शक्ति 5.0**" अभियान के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

"**मिशन शक्ति 5.0**" एक सराहनीय पहल है, जो *महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा* के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह अभियान न केवल महिलाओं को अपनी शक्ति एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, बल्कि एक *सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज* की स्थापना की दिशा में भी ठोस कदम है।

आयोजन विवरण-

- **स्थान:** ग्रामसभा महदोइया स्थित कंपोजिट विद्यालय
- **प्रतिभागी:** ग्रामसभा से आई महिलाएँ, बच्चियाँ एवं विद्यालय की अध्यापिकाएँ
- **सहयोग:** ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार
- **अन्य उपस्थित:** रोजगार सेवक एवं ग्रामवासी

प्रतिभाग-

यह जागरूकता कार्यक्रम **थाना रहीमाबाद की मिशन शक्ति टीम** द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित रहे:

- उ0नि0 **अनिरुद्ध कुमार मिश्र**
- उ0नि0 **अनिल कुमार वर्मा**
- म0का0 **प्रियंका डागर**
- का0 **रणविजय गौत**
- एवं थाना रहीमाबाद की *मिशन शक्ति पुलिस टीम*

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित एवं **श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ** के *निकट पर्यवेक्षण* तथा उच्च *अधिकारियों के दिशा-निर्देशों* के क्रम में, आज दिनांक **15 अक्टूबर 2025** को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा **मिशन शक्ति 5.0** अभियान के तहत *विशेष महिला जागरूकता कार्यक्रम* आयोजित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2510
दिनांक- 15.10.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **क्राइम/सर्विलांल टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना जानकीपुरम संयुक्त पुलिस टीम की कार्यवाही**
- **वादी को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद .32 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.10.2025 को वादी श्री अभिषेक सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करना व मारपीट ,गाली गलोज व जान से मारने की धमकी दी है उक्त शिकायत पर तत्काल थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 245/2025 धारा 191(2)/109(2)/115(2)/351(2)/352 BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह को सुपुर्द हुई।

दिनांक 14.10.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि अभी दो दिन पहले एकेटीयू के पास जिस व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई थी वही व्यक्ति सीडीआरआई रोड पर एक पेड के पास बैठा है सुनने मे आया है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है शायद आज फिर वादी मुकदमा के साथ पुनः कोई घटनाकारित कर सकता है यह भी हो सकता है कि हथियार के साथ आया हो, यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है।

इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह सीडीआरआई गेट नं0-01 व 02 के पास स्थित पेड़ के पास बैठे अभियुक्त आकाश तिवारी उर्फ अक्की पुत्र दिनेश तिवारी निवासी गांव पिपरी थाना माल लखनऊ उम्र 19 वर्ष को पकड़ लिया, जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पिस्टल .32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोकत में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अन्तर्गत धारा 191(2)/109(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका

अवैध असलहा लेकर जनता में भय बनाना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-आकाश तिवारी उर्फ अक्की पुत्र दिनेश तिवारी निवासी गांव पिपरी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 245/2025 धारा 191(2)/109(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जानकीपुरम लखनऊ

05-पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0संख्या 525/2025 धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना गोसाईगंज लखनऊ।

06-कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- ❖ थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम।

07-महत्वपूर्ण बिंदु:-

यह जनसुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु की गई है। लखनऊ पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सभी नागरिकों से अपील है कि वे लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें।

08-जनजागरूकता एवं अपील:-

अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण या विक्रय करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, जिसके लिए विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है। अवैध पटाखों के कारण आगजनी, विस्फोट एवं जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है।आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना पटाखों का भंडारण न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि परिवार व आसपास के लोगों के जीवन के लिए भी खतरा है।

किसी भी स्थान पर अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना मिलने पर तत्काल 112 हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2513
दिनांक-15.10.2025

जोन-मध्य/थाना-हसनगंज

- **अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने वाले आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-14.10.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराहियान के साथ डालीगंज बाजार इक्का तांगा स्टैण्ड पर संदिग्ध व्यक्ति, वाहन व पूर्व में अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ व जानकारी की जा रही थी तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कि अवैध तमंचा कमर में लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो डालता है व तमंचा लिए हुए महाराज अग्रसेन घाट के पास गोमती नदी के किनारे खड़ा है, मुखबिर खास की सूचना पर उसके बताये हुए स्थान पर थाना हसनगंज पुलिस टीम पहुँचकर नदी के किनारे खड़े व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बंध में दाखिला फर्द के आधार थाना स्थानीय पर राज्य द्वारा -वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0 165/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध आकाश गोस्वामी उर्फ मुन्ना पुत्र उदयराज गोस्वामी निवासी-झोपड़पट्टी डालीगंज थाना हसनगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष बाबत अभि0 के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बंध में पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त आकाश गोस्वामी उर्फ मुन्ना पुत्र उदयराज गोस्वामी उपरोक्त को महाराज अग्रसेन घाट गोमती नदी के किनारे से दिनांक-14.10.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये। मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 165/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हसनगंज कमिश्नरेट लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आकाश गोस्वामी उर्फ मुन्ना पुत्र उदयराज गोस्वामी निवासी-झोपड़पट्टी डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

04-बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चितवन कुमार थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ।
4. का0 दौलत सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2509
दिनांक 15.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- गोसाईगंज

- **जोन दक्षिणी के थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय पर की गई बड़ी कार्यवाही।**
- **114 किलोग्राम अवैध हैंड मेड पटाखे अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रूपये बरामद।**
- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अवैध पटाखों के भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत, श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री बब्लू कुमार के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली बसंत कुमार एवं सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ रूणवाल के कुशल मार्गदर्शन में जोन दक्षिणी के थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण व विक्रय पर की गई बड़ी कार्यवाही करते हुए 114 किलोग्राम अवैध पटाखे वजन अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रूपये बरामद कर 01 नफर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दक्षिणी जोन के थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री के भंडारण व विक्रय में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। जिसमें आज दिनांक 15/10/25 को मातनटोला कस्बा गोसाईगंज में रिहायशी इलाके में अवैध भिन्न-भिन्न प्रकार के हैंड मेड पटाखे कुल 37 बोरी, वजन लगभग 114 किलोग्राम बरामद हुआ।

अवैध भंडारण करने वाले हसीब पुत्र स्व0 शरीफ निवासी मातन टोला थाना गोसाईगंज लखनऊ को हिरासत में लिया गया है पूछताछ में बताया गया कि दीवाली में विक्रय हेतु भंडारण किया था। अभियुक्त से विक्रय अथवा परिवहन हेतु लाइसेंस मांगा गया तो कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ का भंडारण किया गया जो विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 ख का उल्लंघन है। प्रकरण में मु0अ0संख्या 525/2025 धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-बरामदगीः-

➢ 114 किलोग्राम अवैध हैंड मेड पटाखे कुल 37 बोरी अनुमानित कीमतः- 300000/- (लगभग 03 लाख रुपये)

04-हिरासत में लिए गये अभियुक्त का विवरणः-

01-हसीब पुत्र स्व शरीफ निवासी मातन टोला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2511
दिनांक -15/10/2025

जोन- दक्षिणी /थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन करने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को वादी प्रेमचंद शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा सहायक प्रबंधक, टू-बडी कसलंटिग प्रा0 लि0 ए-22 सेक्टर-03, नोएडा की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह निवासी 587 ए/29, गांधी नगर रायबरेली रोड तेलीबाग लखनऊ द्वारा वादी मुकदमा की कम्पनियो के उत्पादों रेपर्स, लेबल, ट्रेडमार्क आदि चिपका कर अवैध तरीके से भण्डारण व उत्पादन कर विक्रय करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-90/25 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर बनाम राहुल सिंह उपरोक्त पंजीकृत हुआ था।

अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त राहुल सिहं उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे कि आज दिनांक 15.10.2025 को अभियुक्त राहुल सिंह उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर पराग रोड कृष्णानगर के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य अग्रिम कार्यवाह प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल सिंह पुत्र स्व रामनाथ सिंह नि0 मकान न0-4/123 सेक्टर 5E वृन्दावन योजना तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

03-राहुल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0-105/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम 63/65 कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 थाना मोहनलालगंज लखनऊ

02-मु0अ0सं0-90/2025 धारा 318(4)/336(3)/350(1) बीएनएस व 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना बिजनौर लखनऊ

04-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

अभियुक्त द्वारा कृषि उत्पादों का अवैध तरीके से कापीराईट का उल्लंघन करते हुए भंडारण करना व उत्पादन करना।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवशंकर महादेवन थाना बिजनौर लखनऊ

02- उ0नि0 श्री नागेन्द्र भदौरिया थाना बिजनौर लखनऊ

03- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सोनकर थाना बिजनौर लखनऊ

04- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

04- आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

05- आरक्षी मनीष कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

06- आरक्षी रविन्द्र कुमार सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2512
दिनांक-15.10.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **मिशन शक्ति 5.0 के तहत: वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.09.2025 को वादिनी मुकदमा के प्रा0 पत्र बावत प्रतिवादी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना, प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की माँ के साथ गाली-गलौज करने व परिवार को जान से मारने की धमकी देने विषयक के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 414/2025 धारा 69/352/351(3)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ बनाम 01. अभिजीत तिवारी निवासी बलिया पंजीकृत होकर विववेचना म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 14.10.2025 को म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर मय पुलिस बल के पंजीकृत अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त को श्रीमान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अपराध एव मुख्यालय लखनऊ महोदय के आदेश के अनुपालन मे मोबाईल नम्बर की लोकेशन के आधार पर अभियुक्त अभिजीत तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम हल्दी थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 32 वर्ष को किराये के मकान नं0 326 मागंज वार्ड 05 रेलवे इन्सिट्यूट के पीछे थाना कोतवाली दमोह जनपद दमोह राज्य मध्य प्रदेश सें दिनांक 14.10.2025 को समय 15.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभिजीत तिवारी उपरोक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 69/352/351(3) बीएनएस में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिजीत तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम हल्दी थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 32 वर्ष को किराये के मकान नं0 326 मागंज वार्ड 05 रेलवे इन्सिट्यूट के पीछे थाना कोतवाली दमोह जिला दमोह राज्य मध्य प्रदेश

नोट- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

04-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 414/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक कुमार यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. का0 सूर्य प्रताप सिंह थाना गोमतीनगर लखनऊ